NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 07/01/2026

Page No: 7, Size: 18.76cm × 25.93cm

कैटरिंग की टेंडर नीति में बदलाव पर एनएचआरसी का रेलवे बोर्ड को नोटिस

- 2010 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते टेंडर की आरक्षण संरचना में किए गए थे परिवर्तन
- शिकायत में मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण लाभ दिए जाने का लगाया गया आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक शिकायत के आधार पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि 2010 में आइआरसीटीसी में एक नीति लागू की गई थी, जिसके तहत कैटरिंग और सर्विस टेंडरों से संबंधित आरक्षण श्रेणी संरचना में परिवर्तन किए गए थे, जो संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

शिकायतकर्ता महाराष्ट्र के विनय जोशी ने एनएचआरसी से आवश्यक निर्देश जारी करने और ऐसी नीति को तुरंत समाप्त करने का आग्रह किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 2010 में भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) में एक टेंडर नीति लागू की गई थी, जिसे तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने पेश किया था। इसके तहत कैटरिंग और सर्विस टेंडरों की आरक्षण संरचना में परिवर्तन किए गए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता के नाम पर एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण को कम कर दिया गया और मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण लाभ दिया गया। एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। इस मामले की कार्यवाही पांच जनवरी को हुई। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने के लिए रेलवे अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस पर अभी तक रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Amar Ujala, Delhi, 07/01/2026

Page No: 14, Size: 4.60cm × 11.19cm

मानवाधिकार आयोग ने कैटरिंग नीति को लेकर रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। मानवाधिकार आयोग ने 2010 में यूपीए शासन के दौरान लागू की गई कैटरिंग नीति को लेकर रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में रेलवे के खान-पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन से जुड़ी आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में नीतिगत बदलाव हुआ। इससे आरक्षण ढांचा भी बदला, जिससे अजा, अजजा और ओबीसी वर्ग के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। यह कार्रवाई लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक समूह की शिकायत पर की गई है। समूह के अध्यक्ष विनय जोशी ने आयोग से इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश देने और नीति को खत्म करने की अपील की थी। ब्यूरो

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Nai Duniya, Bilaspur, 07/01/2026

Page No: 9, Size: 15.00cm × 16.25cm

आदिवासी महिला की मौत : पांच लाख मुआवजा देने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : मेडिकल कालेज अस्पताल अंबिकापुर में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व आदिवासी महिला की मौत के प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मृतका के निकटतम स्वजन को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। आयोग ने कहा है कि शासन को यह स्वतंत्रता होगी कि वह क्षतिपूर्ति राशि को संबंधित कर्मचारियों,अधिकारियों से वसूल कर सके। इस प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्रवाई से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। सरगुजा जिले का यह पहला प्रकरण हैं जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

दरअसल 28 जुलाई 2024 को अंबिकापुर के मेडिकल कालेज अस्पताल में दर्रीपारा अंबिकापुर निवासी शांति मरावी की मौत हो गई थी। स्वजन ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मृत्यु से दो दिन पहले से वे मरीज को अस्पताल लेकर आ रहे थे लेकिन शराब सेवन और गर्मी से महिला की तबीयत बिगड़ने का दावा कर चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया था। तीसरी बार जब वे महिला को लेकर आए तो देर हो चुकी थी। समय पर उपचार नहीं मिलने स्वजन के आरोपों को देखते हुए अंबिकापुर के भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पूरे प्रकरण की शिकायत की थी। आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सरगुजा से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया था।प्रशासनिक स्तर पर आयोग को सीएमएचओ सरगुजा की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट से आयोग को प्रतीत हुआ कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और नर्स के विरुद्ध मृतका शांति मरावी के उपचार में लापरवाही बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है,लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ प्रशिक्षु नर्सों और चिकित्सकों की प्रशिक्षण अवधि बढ़ाकर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई थी। नियमित चिकित्सको और स्टाफ नर्सों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह था प्रकरण

28 जुलाई 2024 को अंबिकापुर के मेडिकल कालेज अस्पताल में दर्रीपारा अंबिकापुर निवासी शांति मरावी की मौत हो गई थी।शांति भरावी के स्वजन का आरोप था कि घटना से दो दिन पहले उसको लेकर अस्पताल पहुंचे थे। चिकित्सक ने स्थिति सामान्य होने की बात कही थी। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने दस्तावेज तैयार कर लिया था लेकिन गर्मी और शराब सेवन से स्वास्थ्य पर असर पड़ने का दावा कर चिकित्सक ने दवा देकर वापस घर भेज दिया था। अगले दिन सुबह भी महिला को लेकर स्वजन आए थे। तब उसे बॉटल चढ़ाया था। स्वजन का आरोप था कि महिला के शराब सेवन का दावा कर उपचार में लापरवाही बरती थी। दूसरी बार भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया था। उसी दिन शाम को तीसरी बार तबीयत बिगड़ने घर स्वजन शांति को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इस बार उसकी जान नहीं बच सकी थी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Nai Duniya, Bilaspur, 07/01/2026
Page No: 11, Size: 15.69cm × 19.74cm

आइआरसीटीसी की टेंडर नीति में बदलाव पर एनएचआरसी का रेलवे बोर्ड को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्रः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक शिकायत के आधार पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि 2010 में आइआरसीटीसी में एक नीति लागू की गई थी, जिसके तहत कैटरिंग और सर्विस टेंडरों से संबंधित आरक्षण श्रेणी संरचना में परिवर्तन किए गए थे, जो संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। शिकायतकर्ता महाराष्ट्र के विनय जोशी ने एनएचआरसी से आवश्यक निर्देश जारी करने और ऐसी नीति को तुरंत समाप्त करने का आग्रह किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 2010 में भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) में एक टेंडर नीति लागू की गई थी, जिसे तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने पेश किया था। इसके तहत कैटरिंग और सर्विस टेंडरों की आरक्षण संरचना में परिवर्तन किए गए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता के नाम पर एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण को कम कर दिया गया और मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण लाभ दिया गया। एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। इस मामले की कार्यवाही पांच जनवरी को हुई। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने के लिए रेलवे अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Swadesh Jyoti, Bhopal, 07/01/2026

Page No: 9, Size: 27.04cm × 32.25cm

आईआरसीटीसी टेंडर नीति 2010 पर जांच के आदेश

एजेंसी, कोलकाता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2010 की भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) टेंडर नीति में कथित अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग की एक पीठ ने रेलवे बोर्ड को शिकायत की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। यह मामला उस समय से जुड़ा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-2 सरकार में रेल मंत्री बनीं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में रेलवे कैटरिंग स्टॉल और कैंटीन के संचालन से जुड़े ठेकों के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। शिकायत में आरोप है कि इस बदलाव के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय वैधानिक आरक्षण में कटौती हुई, जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय को दिया गया, जबकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। बता दें कि, वर्ष 2009 में कोलकाता दक्षिण सीट से लगातार छठी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थीं।

Source: https://www.tribuneindia.com/news/delhi/attendants-migrants-brave-cold-outside-hospitals-amid-shortage-of-night-shelters/

Attendants, migrants brave cold outside hospitals amid shortage of night shelters
Sneha Richhariya
Tribune News Service
New Delhi, Updated At : 02:44 AM Jan 07, 2026 IST
Patients and attendants take shelter under a shed outside a government hospital in Delhi.
Advertisement
A recent night count by a Delhi-based volunteers group recorded 7,892 people sleeping outside various hospitals across the capital over the past week. A majority of these people were attendants of patient, daily-wage workers, migrants, homeless individuals, women, children and the elderly. The AIIMS–Safdarjung–Delhi Gate stretch was found to be the most affected.

Aslam Khan, 45, travelled from Bareilly to Delhi two days ago after developing chest pain. Outside Lok Nayak Jai Prakash (LNJP) Hospital, his wife and two children huddled together on a woollen bed sheet, braving the biting cold after being asked to return the next day for treatment.

Advertisement
Outside most government hospitals in the city, under dimly lit sheds and open skies, dozens of people curl up on pavements. Women, in saris and headscarves, wrap blankets tightly around sleeping children; while mats and quilts are spread over cold concrete. Shoes lie piled nearby and plastic bottles and bags are their makeshift belongings. Some scroll through their phones, others stare into the night, waiting for treatment.

“This is not just one night for us,” Aslam said, adding, “We waited for hours inside. Doctors said come back tomorrow.”

Similar scenes are playing out outside hospitals across the capital, including AIIMS, Safdarjung Hospital, Ram Manohar Lohia Hospital, Lady Hardinge Medical College and the VMMC Trauma Centre, where patients and attendants—many from outside Delhi—are forced to sleep outdoors amid plunging temperatures.

Social activist Sunil Aledia, who conducts regular night vigils on homelessness and shelter access in the city, said the situation reflects a failure of basic preparedness during the cold wave.

These are not just homeless people. Many are here because their family members are undergoing treatment. The system offers them no place to stay, he said.

In a letter to the Union Health Minister, Aledia referred to advisories issued by the National Human Rights Commission (NHRC) on October 23, 2025, directing states and Union Territories to prepare for cold-wave conditions. The NHRC cited National Crime Records Bureau data showing that 3,639 people died from cold exposure in India between 2019 and 2023.

Guidelines issued by the National Disaster Management Authority (NDMA) mandate the setting up of day and night shelters, medical screening for cold-related illnesses, continuous monitoring of facilities, and special

protection for vulnerable groups such as newborns, children, the elderly, beggars, and destitute persons. The guidelines emphasise the Constitutional right to life and dignity.

However, ground arrangements near hospitals fall far short. Only 16 pagoda tents have been set up across key hospital zones, with a combined capacity of around 320 people—far below the actual demand.

“At AIIMS-Safdarjung, a tin-shed shelter built by NBCC with space for 26 people has remained closed for over a year. We were never told why,” Aledia said. The old Vishram Sadan complex at the AIIMS was demolished last year, and no alternative facility has been created since.

As a result, patients’ families have to sleep on footpaths and open grounds, exposing them to the risk of hypothermia, respiratory infections and other cold-related illnesses.

Aledia said immediate, low-cost measures could ease the crisis.

“Shelter planning must be based on real-time counts. Hospital parking areas, vacant government land, dharamshalas and unused public buildings should be temporarily utilised,” he said, adding that basic facilities such as blankets, drinking water, toilets and lighting must be ensured, and staff deployed to keep shelters open throughout the night to prevent people from being turned away.

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/banda-banda-court-orders-fir-against-6-cops-for-extortion-framing-40098049.html

20 लाख वसूलकर प्रॉपर्टी डीलर को फंसाया, बांदा में 6 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश
By Sujit Dixit
Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:55 PM (IST)
बांदा में एक प्रापर्टी डीलर को पुलिस मुखबिर को उधार दिए रुपये मांगना महंगा पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उसे 20 लाख रुपये ऐंठकर गांजा तस्करी के झूठे आरोप में जेल भेज दिया। पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला पुलिस उत्पीड़न और अवैध वसूली का है।

HighLights
पुलिस ने प्रापर्टी डीलर से 20 लाख रुपये वसूले।

झूठे मुकदमे में फंसाकर डीलर को जेल भेजा गया।

न्यायालय ने छह पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, बांदा। पुलिस के मुखबिर को उधार दिए रुपये वापस मांगना प्रापर्टी डीलर को काफी महंगा पड़ गया। पुलिस कर्मियों ने उससे न सिर्फ 20 लाख रुपये लिए, बल्कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया।

प्रापर्टी डीलर ने पुलिस के उत्पीड़न और अवैध वसूली के खिलाफ अदालत की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित इंस्पेक्टर समेत छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

बबेरू के हरदौली गांव निवासी कमालउद्दीन प्रापर्टी डीलर का काम करते हैं। उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि गांव के पुलिस मुखबिर बउवा सिंह ने सात जनवरी 2021 को घरेलू समस्या बताते हुए ढाई लाख रुपये चक्की लगाने के लिए उधार लिए थे।

बाद में जब उसने उधार दिए रुपये मांगे तो उसने पुलिस से उसकी झूठी शिकायत कर दी कि वह गांजा की तस्करी करता है, जिसको लेकर फतेहपुर से स्कार्पियो में वापस अपने समय तत्कालीन अतर्रा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआइ सुधीर कुमार चौरसिया, हेड कांस्टेबल महेश्वर प्रसाद, कांस्टेबल अंकित वर्मा, अरमान अली व अखिलेश कुमार पांडेय ने 24 जुलाई 2023 को बिंदकी थाने की जोनिहा पुलिस चौकी से आधा किलोमीटर पहले पकड़ लिया।

साथ ही वाहन से उतारकर पीटा और अपनी बोलेरो में बैठाकर अतर्रा थाने के पुलिस क्वार्टर में ले जाकर बंद कर दिया। साथ ही धमकी देते हुए 20 लाख रुपये की वसूली कर ली। इसके बाद 27 जुलाई 2023 को उसे गांजा व तमंचा लगाकर जेल भेज दिया।

जेल से छूटने के बाद पीड़ित ने एसपी समेत राष्ट्रीय मानव अधिकार का दरवाजा खटखटाया। अतर्रा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी गवेंद्र पाल से जांच कराने में पुलिस कर्मी आरोपित पाए गए, लेकिन उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसआइटी जांच भी अभी लंबित है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने इंस्पेक्टर व एसआइ समेत छह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दो जनवरी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

बिना जीडी में दर्ज किए की गई थी रवानगी
एएसपी ने पूर्व में की गई जांच में पाया था कि आरोपित पुलिस कर्मी बिना जीडी में दर्ज किए व अधिकारियों को बिना जानकारी दिए फतेहपुर रवाना हुए थे। अपने कर्तव्यों में लापरवाही व स्वेच्छारिता, अनुशासनहीनता की है। साथ ही अपने निजी स्वार्थ के चलते कर्मचारियों पर दबाव डालते हुए मनमाफिक कार्य कराया जाना भी पाया गया है।

इस मामले की पूर्व में जांच हुई थी। यदि इसमें न्यायालय ने आरोपित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ दर्ज मुकदमे के आधार पर विवेचना कराई जाएगी। तत्कालीन अतर्रा थानाध्यक्ष वर्तमान में जिले की बेर्रांव चौकी में तैनात हैं। पूर्व में हुई जांच के क्रम में तत्कालीन थानाध्यक्ष आठ माह तक निलंबित रहे थे। बाद में उनकी बहाली हुई है।
-शिवराज एएसपी

Source: https://www.thenewsminute.com/news/2010-irctc-tender-policy-nhrc-seeks-probe-into-minorities-reservation-by-then-railways-minister-mamata-banerjee

2010 IRCTC tender policy: NHRC seeks probe into minorities reservation by then Railways Minister Mamata Banerjee

As per the available documents, a reservation was made for minorities in the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)'s tendering process for awarding contracts for the operation of railway catering stalls and canteens.
Written by: IANS
Published on: 06 Jan 2026, 12:13 pm
A bench of the National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Railway Board to investigate a complaint alleging that in 2010, when the incumbent West Bengal Chief Minister, Mamata Banerjee, was the Railways Minister, a tender policy was amended to provide reservation under the guise of minority preference, reducing the statutory reservation for SC/ST/OBC categories to benefit the Muslim community, which is not provided for under the Constitution of India.
As per the available documents, a reservation was made for minorities in the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)'s tendering process for awarding contracts for the operation of railway catering stalls and canteens.
After getting elected to the Lok Sabha for the sixth consecutive term from Kolkata (Dakshin) constituency in 2009, Mamata Banerjee became the Railways Minister in the United Progressive Alliance (UPA)-II government led by the then-Prime Minister, Late Dr Manmohan Singh.
However, she resigned as the minister after becoming the Chief Minister of West Bengal following the 2011 state Assembly polls, which marked the end of the 34-year Left Front regime in West Bengal.
During that short period as the railways minister from 2009 to 2011, she reportedly amended the policy to provide a certain percentage reservation for minorities in the IRCTC’s tendering process for awarding contracts for the operation of railway catering stalls and canteens.
The matter was brought to the notice of NHRC recently by the activist group, Legal Rights Observatory. Thereafter, a bench headed by NHRC member Priyank Kanoongo issued a notice to the Railway Board, directing them to investigate the matter and take appropriate legal action.
In the complaint filed by Legal Rights Observatory, it was argued that the said reservation was implemented for appeasement and did not appear to be in accordance with the Indian Constitution. The complainant also argued that the reservation seemed to have infringed upon and curtailed the rights of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and Other Backward Class categories.
According to the complaint, the reservation in allotment for categories A, B and C for minorities was three per cent and that for D, E and F categories was 9.5 per cent.
To recall, last year, the Calcutta High Court division bench of Justice Tapabrata Chakraborty and Justice Rajasekhar Mantha scrapped all OBC certificates that were issued by the West Bengal government after 2010, because the majority of these certificates were granted based on religion.
Last week the Election Commission of India (ECI) also clarified that the OBC certificates issued by the West Bengal government after 2010, will not be treated as supporting identity documents in the ongoing hearing sessions on

the claims and objections on the draft voters' list in the state, which is second stage of the three-stage Special Intensive Revision (SIR) in the state.

Source: https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-notice-to-railway-board-on-policy-under-which-changes-were-made-in-reservation-structure-101767699276678.html

NHRC notice to railway board on 'policy' under which 'changes' were made in reservation structure

Published on: Jan 06, 2026 5:04 PM IST
PTI
New Delhi, The NHRC has issue a notice to the Railway Board's chairman after receiving a complaint, alleging that in 2010 a "policy" was introduced in IRCTC under which "changes" were made in the reservation category structure related to catering and service tenders, which "violated" the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution, according to the proceedings of the case.
NHRC notice to railway board on 'policy' under which 'changes' were made in reservation structure
The complainant, Vinay Joshi from Maharashtra, has urged that the National Human Rights Commission to "issue necessary directions" to the authorities, and to have such a policy, "abolished" urgently, it says.
The proceedings of the case is dated January 5.
A bench of the NHRC headed by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and also issued directions to have the allegations levelled in the complaint, inquired into, and asked railway authorities to submit an action taken report within two weeks, it says.
There was no immediate reaction from the railway ministry.
The complainant alleged that in 2010, "a tender policy was introduced in Indian Railway Catering and Tourism Corporation by the then Railway Minister Mamata Banerjee under which changes were made in the reservation structure of catering and service tenders", reads the proceedings.
He alleged that "under the name of minority preference, the statutory reservation meant for SC/ST/OBC categories was reduced and a separate reservation benefit was extended to the Muslim community, which is not provided for under the Constitution of India," it adds.
The complainant further charged that "this policy violated the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution of India and adversely affected the rights of the suppressed citizens of SC/ST/OBC categories by denying them equal opportunity in the tender allocation process".
After seeking intervention of the Commission, Joshi requested action against such allegedly "politically motivated reservations for the Muslim community, which is against the Constitutional norms", and urged to "issue necessary directions against the officer concerned and abolish such a policy urgently", reads the proceedings of the case.
The allegations made in the complaint prima facie seem to be "violations of the human rights of the victims", the NHRC said.
The bench of the Commission has taken cognisance of it, it said, adding, the "registry is directed to issue a notice to the Chairman, Railway Board, New Delhi, with directions, to get the allegations made in the complaint inquired into, and to submit an action taken report within two weeks for perusal of the Commission".

Source: https://www.thehindu.com/news/nhrc-issues-notice-to-railway-board-on-policy-that-made-changes-in-quota-structure/article70478116.ece

NHRC issues notice to Railway Board on 'policy' that made 'changes' in quota structure

A Bench of the NHRC headed by its member Priyank Kanoongo has issued directions to have allegations levelled in the complaint inquired into, and asked railway authorities to submit an action taken report within two weeks
Published - January 06, 2026 06:46 pm IST - NEW DELHI
PTI
The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Railway Board chairman after receiving a complaint, alleging that in 2010 a "policy" was introduced in IRCTC under which "changes" were made in the reservation category structure related to catering and service tenders, which "violated" the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution, according to the proceedings of the case.
The complainant, Vinay Joshi from Maharashtra, has urged the human rights body to "issue necessary directions" to the authorities, and to have such a policy, "abolished" urgently, it says.
The proceedings of the case is dated January 5.
A Bench of the NHRC headed by its member Priyank Kanoongo has taken cognisance under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and also issued directions to have the allegations levelled in the complaint inquired into, and asked railway authorities to submit an action taken report within two weeks, it says.
There was no immediate reaction from the Railway Ministry.
The complainant alleged that in 2010, "a tender policy was introduced in Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) by the then Railway Minister Mamata Banerjee under which changes were made in the reservation structure of catering and service tenders", reads the proceedings.
'Quota benefit for Muslims'
He alleged that "under the name of minority preference, the statutory reservation meant for SC/ST/OBC categories was reduced and a separate reservation benefit was extended to the Muslim community, which is not provided for under the Constitution of India," it adds.
The complainant further charged that "this policy violated the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution of India and adversely affected the rights of the suppressed citizens of SC/ST/OBC categories by denying them equal opportunity in the tender allocation process".
'Against Constitutional norms'
After seeking intervention of the Commission, Mr. Joshi requested action against such allegedly "politically motivated reservations for the Muslim community, which is against the Constitutional norms", and urged the NHRC to "issue necessary directions against the officer concerned and abolish such a policy urgently", reads the proceedings of the case.
The allegations made in the complaint prima facie seem to be "violations of the human rights of the victims", the NHRC said.
The NHRC Bench has taken cognisance of it, it said, adding, that the "registry is directed to issue a notice to the Chairman, Railway Board, New Delhi, with directions, to get the allegations made in the complaint inquired into, and to submit an action taken report within two weeks for perusal of the Commission".

Source: https://hindi.news18.com/news/business/railways-nhrc-notice-to-railway-board-on-policy-under-which-changes-were-made-in-reservation-structure-10038369.html

रेलवे की टेंडर नीति पर NHRC सख्त, कैटरिंग रिजर्वेशन में बदलाव को लेकर रेलवे बोर्ड को नोटिस

Written by: Rakesh Singh
Agency:पीटीआई
Last Updated: January 06, 2026, 18:00 IST

रेलवे की कैटरिंग और सर्विस टेंडर नीति को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. IRCTC में 2010 में किए गए रिजर्वेशन ढांचे के बदलाव पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. मामले में NHRC ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है.

नई दिल्ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रेलवे की एक पुरानी टेंडर नीति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर उस नीति पर जवाब मांगा है, जिसके तहत 2010 में IRCTC में कैटरिंग और सर्विस टेंडर के रिजर्वेशन ढांचे में बदलाव किए गए थे. शिकायत में इसे संविधान के समानता और भेदभाव-निरोधक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया गया है.

2010 की नीति पर क्यों उठा सवाल

महाराष्ट्र के विनय जोशी द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, वर्ष 2010 में IRCTC में एक टेंडर नीति लागू की गई थी. आरोप है कि इस नीति के तहत कैटरिंग और सेवा से जुड़े टेंडरों में आरक्षण श्रेणी के ढांचे में बदलाव किया गया. शिकायतकर्ता का दावा है कि इस बदलाव से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित वैधानिक आरक्षण को कम किया गया, जिससे इन वर्गों को मिलने वाले अवसर प्रभावित हुए.

अल्पसंख्यक प्राथमिकता पर विवाद

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 'अल्पसंख्यक प्राथमिकता' के नाम पर मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण लाभ दिया गया, जबकि ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है. विनय जोशी का कहना है कि इस नीति से संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी हुई और समान अवसर का अधिकार प्रभावित हुआ. उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताते हुए इस नीति को तुरंत समाप्त करने की मांग की है.

NHRC ने लिया संज्ञान

NHRC की सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है. आयोग ने प्रारंभिक तौर पर माना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं. इसके बाद आयोग ने रेलवे अधिकारियों को इन आरोपों की जांच कराने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

रेलवे से मांगी गई रिपोर्ट

आयोग ने स्पष्ट किया है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर मामले की पूरी जांच कराई जाए. जांच के बाद उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी. फिलहाल रेलवे मंत्रालय की ओर से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रेलवे बोर्ड इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या जवाब देता है और क्या 2010 की विवादित नीति में कोई बदलाव किया जाता है.

Source: https://maktoobmedia.com/india/in-letter-to-nhrc-rights-group-alleges-rohingya-mother-infant-held-beyond-jail-term-in-west-bengal/

In letter to NHRC, rights group alleges Rohingya mother, infant held beyond jail term in West Bengal

Maktoob Staff | January 6, 2026
Modified : January 6, 2026

In a letter to the National Human Rights Commission, a human rights group has sought action against the “illegal detention” of a 20-year-old Rohingya refugee and her five-month-old infant in a West Bengal prison, weeks after she completed a court-ordered sentence for immigration-related offences.

Kirity Roy, secretary of Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), said Amina, a Rohingya refugee, has remained lodged at Baharampur Central Correctional Home in Murshidabad district since May 2025, despite a court order sentencing her to six months’ imprisonment for violations of India’s Foreigners Act.

According to MASUM, Amina was arrested in May 2025 under India’s Foreigners Act after allegedly being trafficked into the country from Bangladesh, where she had been living in a UNHCR-registered refugee camp in Cox’s Bazar. Roy said Amina was a victim of sexual violence and human trafficking and gave birth to her child before being brought to India.

A judicial magistrate in Ranaghat convicted Amina under Section 14A of the Foreigners Act and sentenced her to six months’ imprisonment and a fine of 1,000 rupees, which rights advocates say has already been paid. MASUM claims that, as of now, Amina and her infant have been held for about two months beyond the maximum sentence, making their continued detention “illegal and unconstitutional.”

“The continued detention of a young mother and an infant after the completion of sentence has no sanction of law,” Roy said, adding that it violates constitutional protections guaranteeing equality before law and the right to life and personal liberty.

The group has sought an immediate inquiry into the matter, the release of both detainees, and accountability for officials allegedly responsible for failing to implement the court’s order.

Source: https://www.etvbharat.com/amp/en/bharat/nhrc-notice-to-railway-board-on-policy-under-which-changes-were-made-in-reservation-structure-enn26010604619

NHRC Notice To Railway Board On 'Policy' Under Which 'Changes' Were Made In Reservation Structure

NHRC issued a notice related to the IRCTC policy that violated principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution.

By PTI | Published : January 6, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read

New Delhi:The NHRC has issue a notice to the Railway Board's chairman after receiving a complaint, alleging that in 2010 a "policy" was introduced in IRCTC under which "changes" were made in the reservation category structure related to catering and service tenders, which "violated" the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution, according to the proceedings of the case.

The complainant, Vinay Joshi from Maharashtra, has urged that the National Human Rights Commission to "issue necessary directions" to the authorities, and to have such a policy, "abolished" urgently, it says. The proceedings of the case is dated January 5.

A bench of the NHRC headed by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and also issued directions to have the allegations levelled in the complaint, inquired into, and asked railway authorities to submit an action taken report within two weeks, it says. There was no immediate reaction from the railway ministry.

The complainant alleged that in 2010, "a tender policy was introduced in Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) by the then Railway Minister Mamata Banerjee under which changes were made in the reservation structure of catering and service tenders", reads the proceedings.

He alleged that "under the name of minority preference, the statutory reservation meant for SC/ST/OBC categories was reduced and a separate reservation benefit was extended to the Muslim community, which is not provided for under the Constitution of India," it adds.

The complainant further charged that "this policy violated the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution of India and adversely affected the rights of the suppressed citizens of SC/ST/OBC categories by denying them equal opportunity in the tender allocation process".

After seeking intervention of the Commission, Joshi requested action against such allegedly "politically motivated reservations for the Muslim community, which is against the Constitutional norms", and urged to "issue necessary directions against the officer concerned and abolish such a policy urgently", reads the proceedings of the case.

The allegations made in the complaint prima facie seem to be "violations of the human rights of the victims", the NHRC said.

The bench of the Commission has taken cognisance of it, it said, adding, the "registry is directed to issue a notice to the Chairman, Railway Board, New Delhi, with directions, to get the allegations made in the complaint inquired into, and to submit an action taken report within two weeks for perusal of the Commission"

Source: https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3751171-nhrc-probes-alleged-discriminatory-policy-in-railway-tenders

NHRC Probes Alleged Discriminatory Policy in Railway Tenders

The NHRC has issued a notice to the Railway Board's chairman over a 2010 IRCTC policy allegedly altering the reservation structure in catering and service tenders, favoring the Muslim community over SC/ST/OBC categories, violating equality principles. The NHRC demands an inquiry and action report within two weeks.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 06-01-2026 17:03 IST | Created: 06-01-2026 17:03 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken action against the Railway Board, issuing a notice concerning an allegedly discriminatory policy introduced in 2010. The policy reportedly altered reservation structures in Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) tenders.

The complaint, filed by Vinay Joshi from Maharashtra, claims the 2010 policy, enacted during Mamata Banerjee's tenure as Railway Minister, decreased statutory reservations for SC/ST/OBC categories while extending benefits to the Muslim community, a provision not sanctioned by India's Constitution.

The NHRC, headed by Priyank Kanoongo, is investigating potential human rights violations stemming from this policy. It requires the Railway Board to conduct an inquiry and report back within a fortnight.

(With inputs from agencies.)

Source: https://www.patrika.com/ambikapur-news/nhrc-ordered-to-cs-national-human-rights-commission-20236743

NHRC ordered to CS: डॉक्टर-नर्सों की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा- दें 5 लाख का मुआवजा

अंबिकापुर Ram Prawesh Vishwakarma | Jan 06, 2026

अंबिकापुर। शहर के दर्रीपारा निवासी एक महिला को उल्टी-दस्त की शिकायत पर जुलाई 2024 में मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। यहां डॉक्टर ने दवा देकर उसे घर भेज दिया था। घर पर महिला की तबियत और ज्यादा बिगड़ गई तो अगले दिन उसकी बेटियां उसे फिर अस्पताल लेकर पहुंचीं थी। लेकिन डॉक्टर व नर्सों ने उसे भर्ती करने की जगह घर भेज दिया। ऐसे में महिला की मौत हो गई। इसकी शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। उनका कहना था कि डॉक्टर व नर्सों की लापरवाही से महिला की जान गई है। मामले की जांच के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव (NHRC ordered to CS) को महिला के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 1 अगस्त 2024 को एक शिकायत पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि शहर के दर्रीपारा जेल तालाब निवासी महिला शांति मरावी 50 वर्ष को उल्टी-दस्त से पीड़ित थी। यह देख 27 जुलाई 2024 को उसकी 2 बेटियां उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NHRC ordered to CS) ले गईं।

यहां डॉक्टर ने इलाज के नाम पर कुछ दवा देकर उसे घर भेज दिया। घर पर महिला की तबियत और बिगड़ गई। इसके बाद 28 जुलाई को बेटियां फिर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचीं। उन्होंने अस्पताल में पर्ची भी कटवाई। महिला की स्थिति काफी गंभीर थी, इसके बाद भी डॉक्टर व नर्सों (NHRC ordered to CS) ने उसे भर्ती कर इलाज कराना जरूरी नहीं समझा और पुन: उसे घर भेज दिया गया। इससे महिला की मौत हो गई।

शिकायत में उन्होंने बताया कि उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर व नर्सों की लापरवाही से ही महिला की जान चली गई। पार्षद ने इस बात का भी उल्लेख किया कि डॉक्टर-नर्सों की उक्त कार्यप्रणाली (NHRC ordered to CS) तानाशाही का परिचायक है तथा मानवीय दृष्टिकोण से अमानवीय कृत्य है। उन्होंने बताया कि यदि महिला को उस समय भर्ती कर लिया गया होता तो उसकी जान बच सकती थी तथा उसकी 2 बेटियों के सिर से मां का साया नहीं उठता।

NHRC ordered to CS: आयोग ने मामले का लिया संज्ञान

शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC ordered to CS) दिल्ली ने मामले को संज्ञान में लिया तथा सरगुजा कलेक्टर व एसपी से इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। कलेक्टर ने 15 जनवरी 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लिखा कि शांति मरावी के इलाज में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर व नर्स के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

उक्त बातें सीएमएचओ द्वारा 13 नवंबर 2024 की रिपोर्ट के आधार पर कही गईं। इस पर आयोग ने शिकायतकर्ता पार्षद से 7 अक्टूबर 2025 की कार्रवाई के तहत टिप्पणियां (NHRC ordered to CS) मांगीं। इस पर पार्षद ने 31 अक्टूबर को जवाब पेश किया तथा दोषी कर्मचारियों को दी गई सजा की प्रकृति पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई।

5 लाख का मुआवजा देने के दिए निर्देश

शिकायतकर्ता के जवाब के बाद आयोग ने माना कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला की मृत्यु सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से हुई। मामले की जांच के बाद आयोग ने छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव (NHRC ordered to CS) को मृतका के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा भुगतान का सबूत भी पेश करने कहा है। वहीं आयोग ने यह भी कहा कि सरकार को यह अधिकार होगा कि मामले के दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों से मुआवजे की राशि वसूल करे। आयोग ने 24 जनवरी तक मामले की पूरी रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं।

Live 7 TV, Online News, 07/01/2026

Source: https://live7tv.com/mamata-banerjees-catering-policy-during-her-tenure-as-railway-minister-is-under-scrutiny-the-nhrc-has-sent-a-notice-to-the-railway-board/

ममता बनर्जी के रेल मंत्री कार्यकाल की कैटरिंग नीति जांच के घेरे में, NHRC ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस

Last updated: January 6, 2026 11:06 am
By Shashi Bhushan Kumar
नई दिल्ली: वर्ष 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। इस नीति से जुड़ी कथित आरक्षण व्यवस्था की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
मामला रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खान-पान सेवाओं के संचालन से जुड़ा है। आरोप लगाया गया है कि उस समय आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में नीति स्तर पर बदलाव करते हुए एक विशेष समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया गया। इस संबंध में एक सामाजिक-वैधानिक समूह द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया है कि यह व्यवस्था संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है और इससे अन्य आरक्षित वर्गों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड से पूरे मामले की जांच कर उचित और कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि 2009–10 के रेल बजट के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री ने रेलवे में यात्रियों को बेहतर खान-पान सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय और बेहतर साफ-सफाई उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। साथ ही जन आहार की उपलब्धता और रेलवे कैटरिंग में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की बात कही गई थी।
इन्हीं घोषणाओं के आधार पर रेलवे बोर्ड ने जुलाई 2010 में नई कैटरिंग नीति को लागू किया था, जिसे सभी रेलवे जोनों और आईआरसीटीसी को पालन के लिए भेजा गया था।
अब, इस नीति के लागू होने के कई वर्षों बाद सामने आए आरोपों ने एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बहस को तेज कर दिया है। मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Source: https://jantaserishta.com/national/an-inquiry-will-be-conducted-into-catering-contracts-awarded-during-mamata-banerjees-tenure-as-railway-minister-the-nhrc-has-sent-a-notice-to-the-railway-board-4502262

ममता बनर्जी के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान कैटरिंग आरक्षण की होगी जांच, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस

jantaserishta.com6 Jan 2026 11:24 AM

नई दिल्ली: वर्ष 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति एक बार फिर विवादों में आ गई है। आरोप है कि उस समय रेलवे के खान-पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन की ठेकेदारी से जुड़ी आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, को 9.5 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक कार्यकर्ता ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि यह आरक्षण तुष्टिकरण की नीति के तहत किया गया प्रतीत होता है और यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि इस फैसले के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों में कटौती हुई, जो उनके संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण जैसा है।

इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले की जांच करने और विधिसम्मत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, वर्ष 2009-10 के रेल बजट भाषण के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेहतर गुणवत्ता का भोजन, साफ पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय और सफाई सुनिश्चित करने की घोषणा की थी।

उन्होंने यह भी कहा था कि जन आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को रेलवे कैटरिंग में शामिल किया जाएगा। इसी घोषणा के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा 21 जुलाई 2010 को नई कैटरिंग नीति तैयार कर लागू की गई। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (टूरिज्म एंड कैटरिंग) मणि आनंद द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि यह नीति वित्त और विधि निदेशालय की सहमति से बनाई गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस संबंध में सभी भारतीय रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश भेजे गए थे और आईआरसीटीसी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था। अब, एक दशक से अधिक समय बाद, इस नीति में कथित आरक्षण प्रावधान को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

Source: https://jantaserishta.com/local/west-bengal/the-nhrc-has-demanded-an-investigation-into-mamata-banerjees-irctc-reservation-decision-4502746

NHRC ने ममता बनर्जी के IRCTC आरक्षण फैसले की जांच की मांग की

Dolly6 Jan 2026 2:52 PM

Kolkata कोलकाता: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) की एक बेंच ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2010 में, जब मौजूदा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं, तब अल्पसंख्यक प्राथमिकता के नाम पर आरक्षण देने के लिए टेंडर पॉलिसी में बदलाव किया गया था, जिससे SC/ST/OBC कैटेगरी के लिए कानूनी आरक्षण कम हो गया और मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाया गया, जो भारत के संविधान के तहत नहीं दिया गया है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की टेंडर प्रक्रिया में रेलवे कैटरिंग स्टॉल और कैंटीन चलाने के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण किया गया था। 2009 में कोलकाता (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र से लगातार छठी बार लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद, ममता बनर्जी तत्कालीन प्रधानमंत्री, स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA)-II सरकार में रेल मंत्री बनीं। हालांकि, 2011 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे पश्चिम बंगाल में 34 साल के वाम मोर्चा शासन का अंत हो गया।

2009 से 2011 तक रेल मंत्री के उस छोटे से कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर IRCTC की टेंडर प्रक्रिया में रेलवे कैटरिंग स्टॉल और कैंटीन चलाने के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अल्पसंख्यकों को एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया था। इस मामले को हाल ही में एक्टिविस्ट ग्रुप, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने NHRC के संज्ञान में लाया था। इसके बाद, NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी कर मामले की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा दायर शिकायत में यह तर्क दिया गया कि उक्त आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लागू किया गया था और यह भारतीय संविधान के अनुसार नहीं लगता है। शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि आरक्षण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उन्हें कम किया गया है।

शिकायत के अनुसार, अल्पसंख्यकों के लिए कैटेगरी A, B और C में आवंटन में आरक्षण तीन प्रतिशत था और D, E और F कैटेगरी के लिए 9.5 प्रतिशत था। याद दिला दें कि पिछले साल, कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस तपाब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मन्था की डिवीज़न बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए थे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सर्टिफिकेट धर्म के आधार पर दिए गए थे। पिछले हफ़्ते भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने भी साफ़ किया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट को राज्य में ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों पर चल रही सुनवाई के दौरान पहचान के सहायक दस्तावेज़ के तौर पर नहीं माना जाएगा, जो राज्य में तीन-चरणों वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण है।

Source: https://www.khaskhabar.com/local/delhi-ncr/delhi-news/news-catering-reservation-policy-during-mamata-banerjees-tenure-as-railway-minister-to-be-investigated-nhrc-issues-notice-to-railway-board-news-hindi-1-781728-KKN.html

ममता बनर्जी के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान कैटरिंग आरक्षण की होगी जांच, NHRC ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस

khaskhabar.com: मंगलवार, 06 जनवरी 2026 11:02 AM

नई दिल्ली । वर्ष 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति एक बार फिर विवादों में आ गई है। आरोप है कि उस समय रेलवे के खान-पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन की ठेकेदारी से जुड़ी आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, को 9.5 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक कार्यकर्ता ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि यह आरक्षण तुष्टिकरण की नीति के तहत किया गया प्रतीत होता है और यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि इस फैसले के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों में कटौती हुई, जो उनके संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण जैसा है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले की जांच करने और विधिसम्मत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, वर्ष 2009-10 के रेल बजट भाषण के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेहतर गुणवत्ता का भोजन, साफ पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय और सफाई सुनिश्चित करने की घोषणा की थी।

उन्होंने यह भी कहा था कि जन आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को रेलवे कैटरिंग में शामिल किया जाएगा। इसी घोषणा के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा 21 जुलाई 2010 को नई कैटरिंग नीति तैयार कर लागू की गई। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (टूरिज्म एंड कैटरिंग) मणि आनंद द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि यह नीति वित्त और विधि निदेशालय की सहमति से बनाई गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस संबंध में सभी भारतीय रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश भेजे गए थे और आईआरसीटीसी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था। अब, एक दशक से अधिक समय बाद, इस नीति में कथित आरक्षण प्रावधान को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

--आईएएनएस

Source: https://www.sachkahoon.com/mamata-banerjees-2010-railway-catering-policy-controversy/

Indian Railways: रेलवे कैटरिंग नीति 2010 विवाद! विशेष समुदाय को कथित आरक्षण पर NHRC का रेलवे बोर्ड को नोटिस

Posted By ManMohan - 6 January, 2026 11:35 AM IST

Indian Railways Latest News: नई दिल्ली। वर्ष 2010 में रेलवे के खानपान प्रबंधन से संबंधित लागू की गई कैटरिंग नीति एक बार फिर चर्चा और विवाद के केंद्र में आ गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में आईआरसीटीसी की ठेका प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन कर अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, को लगभग 9.5 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी गई थी।

इस विषय को लेकर 'लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी' नामक एक सामाजिक-वैधानिक संगठन ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। संगठन का कहना है कि यह प्रावधान कथित रूप से तुष्टिकरण की सोच से प्रेरित प्रतीत होता है और संविधान की समानता की भावना के विपरीत है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस व्यवस्था के चलते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा उनके संवैधानिक अधिकारों में अप्रत्यक्ष कटौती हुई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण की तथ्यों के आधार पर जांच की जाए और कानून के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएं।

नीति वित्त और विधि निदेशालय की सहमति से तैयार की गई

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 के रेल बजट भाषण में तत्कालीन रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को बेहतर भोजन, स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय और उच्च स्तर की स्वच्छता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके साथ ही जनआहार की सुविधा बढ़ाने तथा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय व्यंजनों को रेलवे खानपान व्यवस्था में सम्मिलित करने की बात कही गई थी।

इन्हीं घोषणाओं के आधार पर रेलवे बोर्ड ने 21 जुलाई 2010 को नई कैटरिंग नीति को अंतिम रूप देकर लागू किया। रेलवे बोर्ड के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक (पर्यटन एवं कैटरिंग) मणि आनंद द्वारा जारी पत्र में बताया गया था कि यह नीति वित्त और विधि निदेशालय की सहमति से तैयार की गई है तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। इस संबंध में सभी रेलवे जोनों के महाप्रबंधकों और आईआरसीटीसी को आवश्यक निर्देश भेजे गए थे। अब, एक दशक से अधिक समय बीतने के बाद, इस नीति में कथित आरक्षण प्रावधान को लेकर उठे प्रश्नों ने प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नई बहस को जन्म दे दिया है।

Source: https://ddnews.gov.in/an-investigation-will-be-conducted-into-catering-reservations-during-mamata-banerjees-tenure-as-railway-minister-the-nhrc-has-sent-a-notice-to-the-railway-board/

ममता बनर्जी के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान कैटरिंग आरक्षण की होगी जांच, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस

9 hours ago

वर्ष 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति एक बार फिर विवादों में आ गई है। आरोप है कि उस समय रेलवे के खान-पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन से जुड़ी आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, को 9.5% तक आरक्षण दिया गया था।

आरक्षण तुष्टिकरण की नीति के तहत किया गया प्रतीत होता है

इस मामले को लेकर 'लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी' नामक एक कार्यकर्ता समूह ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह आरक्षण तुष्टिकरण की नीति के तहत किया गया प्रतीत होता है, जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। संगठन का दावा है कि इस फैसले के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों में कटौती हुई, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

आयोग ने रेलवे बोर्ड को पूरे मामले की जांच कर विधिसम्मत और उचित कार्रवाई करने के दिए निर्देश

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड को पूरे मामले की जांच कर विधिसम्मत और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने जन आहार की उपलब्धता और रेलवे कैटरिंग में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की बात भी कही थी

दरअसल, वर्ष 2009-10 के रेल बजट भाषण के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेहतर गुणवत्ता का भोजन, स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। उन्होंने जन आहार की उपलब्धता और रेलवे कैटरिंग में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की बात भी कही थी।

रेलवे बोर्ड ने 21 जुलाई 2010 को नई कैटरिंग लागू की थी

इन्हीं घोषणाओं के आधार पर रेलवे बोर्ड ने 21 जुलाई 2010 को नई कैटरिंग नीति तैयार कर लागू की थी। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पर्यटन एवं कैटरिंग) मणि आनंद द्वारा जारी पत्र में कहा गया था कि यह नीति वित्त और विधि निदेशालय की सहमति से बनाई गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस संबंध में सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश भेजे गए थे और आईआरसीटीसी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था। अब एक दशक से अधिक समय बाद, इस नीति में कथित आरक्षण प्रावधान को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। (इनपुट: आईएएनएस)

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/mamata-banerjee-ke-rail-mantri-karyakal-ki-policy-ko-lekar-nhrc-ne-railway-board-ko-bheja-notice-catering-reservation-ki-hogi-janch-1235457

ममता बनर्जी के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान कैटरिंग आरक्षण की होगी जांच, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस

6 Jan 2026 10:52 AM

वर्ष 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति एक बार फिर विवादों में आ गई है। आरोप है कि उस समय रेलवे के खान-पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन की ठेकेदारी से जुड़ी आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, को 9.5 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया था।

नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। वर्ष 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति एक बार फिर विवादों में आ गई है। आरोप है कि उस समय रेलवे के खान-पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन की ठेकेदारी से जुड़ी आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, को 9.5 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया था।

इस मुद्दे को लेकर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक कार्यकर्ता ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि यह आरक्षण तुष्टिकरण की नीति के तहत किया गया प्रतीत होता है और यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि इस फैसले के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों में कटौती हुई, जो उनके संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण जैसा है।

इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले की जांच करने और विधिसम्मत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, वर्ष 2009-10 के रेल बजट भाषण के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेहतर गुणवत्ता का भोजन, साफ पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय और सफाई सुनिश्चित करने की घोषणा की थी।

उन्होंने यह भी कहा था कि जन आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को रेलवे कैटरिंग में शामिल किया जाएगा।

इसी घोषणा के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा 21 जुलाई 2010 को नई कैटरिंग नीति तैयार कर लागू की गई। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (टूरिज्म एंड कैटरिंग) मणि आनंद द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि यह नीति वित्त और विधि निदेशालय की सहमति से बनाई गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस संबंध में सभी भारतीय रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश भेजे गए थे और आईआरसीटीसी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था।

अब, एक दशक से अधिक समय बाद, इस नीति में कथित आरक्षण प्रावधान को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

Source: https://www.jagran.com/news/national-nhrc-notice-to-railway-board-on-reservation-policy-changes-40098418.html

आरक्षण में बदलाव करने पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस, SC-ST की जगह अल्पसंख्यकों को दी गई थी प्राथमिकता

By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:09 PM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। यह शिकायत 2010 में आईआरसीटीसी की एक नीति से संबंधित है, जिसमें कैटरिंग और सर्विस टेंडरों में आरक्षण संरचना में बदलाव का आरोप है। शिकायतकर्ता विनय जोशी ने दावा किया कि इस नीति ने एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। एनएचआरसी ने रेलवे अधिकारियों से दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

कैटरिंग और सर्विस टेंडरों से संबंधित आरक्षण श्रेणी संरचना में परिवर्तन किए गए थे

HighLights

एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को नोटिस भेजा।

आईआरसीटीसी आरक्षण नीति में बदलाव की शिकायत।

एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण में कमी का आरोप।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक शिकायत के आधार पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि 2010 में आईआरसीटीसी में एक नीति लागू की गई थी, जिसके तहत कैटरिंग और सर्विस टेंडरों से संबंधित आरक्षण श्रेणी संरचना में परिवर्तन किए गए थे, जो संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

शिकायतकर्ता महाराष्ट्र के विनय जोशी ने एनएचआरसी से आवश्यक निर्देश जारी करने और ऐसी नीति को तुरंत समाप्त करने का आग्रह किया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 2010 में भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में एक टेंडर नीति लागू की गई थी, जिसे तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने पेश किया था। इसके तहत कैटरिंग और सर्विस टेंडरों की आरक्षण संरचना में परिवर्तन किए गए।

आरक्षण को कम करने का आरोप

उन्होंने यह आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता के नाम पर एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण को कम कर दिया गया और मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण लाभ दिया गया। एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

इस मामले की कार्यवाही पांच जनवरी को हुई। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने के लिए रेलवे अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस पर अभी तक रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

Source: https://vocaltv.in/national/irctc-tender-investigation-cm-mamata-banerjee-wbphp/cid18042410.htm

आईआरसीटीसी टेंडर नीति 2010 पर जांच के आदेश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड से मांगी रिपोर्ट

By VocalTV Desk | Jan 6, 2026, 13:36 IST

कोलकाता, 06 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2010 की भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) टेंडर नीति में कथित अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग की एक पीठ ने रेलवे बोर्ड को शिकायत की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। यह मामला उस समय से जुड़ा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-2 सरकार में रेल मंत्री बनीं।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया में रेलवे कैटरिंग स्टॉल और कैंटीन के संचालन से जुड़े ठेकों के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। शिकायत में आरोप है कि इस बदलाव के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय वैधानिक आरक्षण में कटौती हुई, जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय को दिया गया, जबकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है।

बता दें कि, वर्ष 2009 में कोलकाता दक्षिण सीट से लगातार छठी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थीं। बाद में 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी अवधि के दौरान टेंडर नीति में बदलाव किए जाने का आरोप है। यह मामला हाल ही में लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक संगठन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में लाया था। इसके बाद आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी कर जांच के निर्देश दिए।

शिकायत में कहा गया है कि श्रेणी ए, बी और सी में अल्पसंख्यकों के लिए तीन प्रतिशत और श्रेणी डी, ई और एफ में 9.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संगठन का दावा है कि यह कदम तुष्टीकरण की नीति के तहत उठाया गया और इससे आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन हुआ।

उल्लेखनीय है कि, पिछले वर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2010 के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे, यह कहते हुए कि इनमें से अधिकांश धर्म के आधार पर जारी किए गए थे।

वहीं, हाल ही में चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि 2010 के बाद जारी ऐसे प्रमाण पत्रों को राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पहचान के सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।------------------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

Source: https://hindi.theprint.in/india/nhrc-notice-to-chairman-railway-board-over-policy-related-to-change-in-reservation-structure/916011/

आरक्षण ढांचे में ‘बदलाव’ से जुड़ी ‘नीति’ को लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को एनएचआरसी का नोटिस

भाषा | 6 January, 2026

नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उस शिकायत को लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2010 में आईआरसीटीसी में एक “नीति” लागू की गई थी, जिसके तहत खानपान और सेवा निविदाओं से संबंधित आरक्षण श्रेणी के ढांचे में “बदलाव” किए गए थे, जो संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का “उल्लंघन” करते हैं।

शिकायतकर्ता विनय जोशी ने एनएचआरसी से अधिकारियों को “आवश्यक निर्देश जारी करने” और ऐसी नीति को तत्काल “समाप्त” करने का आग्रह किया है।

एनएचआरसी की एक पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत शिकायत का संज्ञान लिया है और इसमें लगाए गए आरोपों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं।

एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांच जनवरी को शिकायत पर सुनवाई के दौरान रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

रेल मंत्रालय की ओर से इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

शिकायत में कहा गया है कि 2010 में “तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में एक निविदा नीति लागू की थी, जिसके तहत खानपान और सेवा निविदाओं के आरक्षण ढांचे में बदलाव किए गए थे।”

इसमें आरोप लगाया गया है कि “अल्पसंख्यकों को वरीयता के नाम पर अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित वैधानिक आरक्षण को कम कर दिया गया और मुस्लिम समुदाय को एक अलग आरक्षण लाभ प्रदान किया गया, जिसका प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है।”

शिकायत में कहा गया है कि यह नीति “भारत के संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और निविदा आवंटन प्रक्रिया में समान अवसर से वंचित करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।”

एनएचआरसी ने शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया “पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन” प्रतीत होते हैं।

उसने कहा कि आयोग की पीठ ने शिकायत का संज्ञान लिया है।

एनएचआरसी ने कहा, “रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह रेलवे बोर्ड, नयी दिल्ली के अध्यक्ष को नोटिस जारी करे और उन्हें निर्देश दे कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए तथा दो हफ्ते के भीतर आयोग के अवलोकन के लिए कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए।”

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Source: https://bihar.punjabkesari.in/jharkhand/news/arjun-munda-wrote-letter-to-nhrc-regarding-custodial-death-in-jamshedpur-2272589

अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत पर न्यायिक जांच की मांग

Edited By Harman, Updated: 06 Jan, 2026 11:42 AM

Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (नई दिल्ली) को पत्र लिखकर...

Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (नई दिल्ली) को पत्र लिखकर स्वतंत्र एवं न्यायिक जांच की मांग की है।

पुलिस अभिरक्षा में मौत संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: अर्जुन मुंडा

मुंडा ने अपने पत्र में लिखा है कि जमशेदपुर अंतर्गत मानगो के गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की 30 दिसंबर को पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं गरिमा के अधिकार तथा स्थापित मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि बिना किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के केवल एक अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया तथा मृतक के परिजनों से सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराकर 2 लाख की राशि सौंप दी गई। इस राशि के वैधानिक आधार एवं प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे पूरे प्रकरण की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

अर्जुन मुंडा ने यह भी उल्लेख किया कि गिरफ्तारी के बाद लगभग दो दिनों तक मृतक के परिजनों को उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे यह आशंका गहराती है कि अजीत महतो की मृत्यु पुलिस यातना के कारण हुई हो सकती है। इसी दौरान मृतक की गर्भवती पत्नी ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया। अजीत महतो अपने परिवार के एकमात्र आजीविका अर्जक थे, जिससे अब उनका परिवार गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट में फंस गया है।

पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विधिक व विभागीय कार्रवाई करने की मांग

पत्र में कहा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी नागरिक की मृत्यु अपने आप में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, जिसकी जांच स्वतंत्र, उच्चस्तरीय एवं न्यायिक प्रकृति की होनी अनिवार्य है। श्री मुंडा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आग्रह किया है कि इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए स्वतंत्र एवं न्यायिक जांच सुनिश्चित की जाए, दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विधिक व विभागीय कार्रवाई की जाए तथा मृतक के परिजनों को न्यायोचित व सम्मानजनक मुआवजा, पुनर्वास एवं आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग इस गंभीर और संवेदनशील मानवाधिकार मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करेगा।

Source: https://www.siasat.com/raigarh-man-accused-of-molesting-woman-cop-paraded-with-shoe-garland-3321927/amp/

Raigarh man accused of molesting woman cop paraded with shoe garland

Officials reportedly said the move was meant to send a strong message to such criminals.
Raigarh: A man accused of molesting and assaulting a woman constable was allegedly paraded with a garland of slippers by the Chhattisgarh police, to send a 'strong message' on Monday, January 5.
The video of the accused, Chitrasen Sao (Sahu), face blackened, partially stripped, paraded in chains and a garland of slippers, gained significant traction on social media.
Woman constable's uniform torn
Chitrasen Sao was a part of a mob that allegedly assaulted and ripped off the uniform of a woman constable, Kamla Pusham, during an anti-mining protest in Libra Village in Raigarh on December 27.
A video of the torture surfaced showing the policewoman lying on the ground with her clothes partially torn, begging for mercy with folded hands and repeatedly requesting the mob to let her go. "Don't tear, bhai. I will not do anything. I did not hit anyone," she says.
One of the accused is seen pulling her torn uniform, while another films the assault and later threatens her with a sandal and yells at her.
A blurred video of the assault was shared on X (formerly Twitter) by the Chhattisgarh Congress Sevadal.
"The video of misconduct and tearing clothes off a female constable in Raigarh (Chhattisgarh) is spine-chilling. When a woman in uniform isn't safe, on what face do you claim security for ordinary women? Double-engine government completely failed!" read the post.
The shocking video enraged the police community, who questioned the mob's audacity in attacking their colleague.
The Chhattisgarh Police quickly arrested Mangal Rathiya and Chinesh Khamari on January 2.
Three days later, Sao was also arrested. He was brought to the station where a group of angry women constables blackened his face, stripped him, hung a garland of slippers around his neck and paraded him in chains to the court, raising slogans, "Police hamari baap hai, vardi faadna paap hai (Police are our parents, tearing the uniform is a sin)."
At one point, he was made to do sit-ups on the road as bystanders recorded videos. Sau apologised, saying his act was demeaning.
Officials reportedly said the move was meant to send a strong message to such criminals.
Activist to file complaint with NHRC
Meanwhile, social activist Kunal Shukla condemned Sau's treatment as an "inhumane and reprehensible act" and said he would file a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC).
"I will file a formal complaint with the National Human Rights Commission against this inhumane and reprehensible act committed by the Collector and Superintendent of Police of Raigarh district in Chhattisgarh. A garland of shoes and slippers around his neck, visible injury marks on his body, and torn clothes; this sight is shameful for any civilised society. I have never seen such public humiliation of a person from the Sahu community before, and this has happened under Vishnu Deo's rule," said the activist.
Being an accused does not give anyone the license to trample on a person's dignity, honour, and human rights, he

added.

Source: https://www.newindianexpress.com/nation/2026/Jan/06/public-humiliation-of-accused-with-slipper-garland-in-chhattisgarh-illegal-say-former-top-cop-activists

Public humiliation of accused with slipper garland in Chhattisgarh illegal, say former top cop, activists

Videos of the incident were recorded by passers-by, while reports also claimed that fireworks were set off by the police during the march.

Ejaz Kaiser | Updated on: 06 Jan 2026, 10:05 pm

2 min read

RAIPUR: The Raigarh police's act of parading an accused with a garland of slippers and his face smeared black is unlawful and impermissible under Indian law, former Director General of Police R.K. Vij and human rights activists have said.

They said that subjecting an accused to public humiliation violates the constitutional guarantee under Article 21, which ensures the right to life and personal liberty, and cautioned that such practices could set a dangerous precedent.

Chitrasen Sao is among the main accused in connection with the alleged assault of a woman constable and the tearing of her uniform during protests against a coal mine public hearing at Tamnar block in Raigarh district.

While being taken on foot through Raigarh town to a court, accompanied by women police personnel, Sao was allegedly forced to shout slogans such as "Vardi faadna paap hai" (tearing a uniform is a sin) and "Police hamari baap hai" (a metaphorical assertion of police authority).

Videos of the incident were recorded by passers-by, while reports also claimed that fireworks were set off by the police during the march.

The incident followed protests on December 27, when residents of 14 villages demonstrated against the public hearing for the allocation of the Gare Pelma Sector-1 coal mine block to Jindal Power Limited.

"Such treatment of an accused is unlawful. The law does not permit the police to act in this manner," Vij said.

Human rights activists have also slammed the police action, stating that it runs contrary to Supreme Court guidelines.

"I have lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) and brought the matter to the notice of the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court," said Kunal Shukla, a Raipur-based human rights and RTI activist. "This reflects public humiliation and brutality displayed as a show of police success."

Shukla has also filed an RTI application seeking copies of any official orders authorising the manner in which the accused was treated, and whether the police obtained court permission to handcuff and parade him publicly.

In a similar case in the past, the Aurangabad Bench of the Bombay High Court fined a police officer Rs 75,000 for publicly parading a suspected thief half-naked with a garland of shoes, observing that no civilised society can permit such conduct and reiterating that rights under Article 21 can be curtailed only through procedure established by law.

Source: https://www.newindianexpress.com/nation/2026/Jan/06/public-humiliation-of-accused-with-slipper-garland-in-chhattisgarh-illegal-say-former-top-cop-activists

Public humiliation of accused with slipper garland in Chhattisgarh illegal, say former top cop, activists

Videos of the incident were recorded by passers-by, while reports also claimed that fireworks were set off by the police during the march.

Ejaz Kaiser | Updated on: 06 Jan 2026, 10:05 pm

2 min read

RAIPUR: The Raigarh police's act of parading an accused with a garland of slippers and his face smeared black is unlawful and impermissible under Indian law, former Director General of Police R.K. Vij and human rights activists have said.

They said that subjecting an accused to public humiliation violates the constitutional guarantee under Article 21, which ensures the right to life and personal liberty, and cautioned that such practices could set a dangerous precedent.

Chitrasen Sao is among the main accused in connection with the alleged assault of a woman constable and the tearing of her uniform during protests against a coal mine public hearing at Tamnar block in Raigarh district.

While being taken on foot through Raigarh town to a court, accompanied by women police personnel, Sao was allegedly forced to shout slogans such as "Vardi faadna paap hai" (tearing a uniform is a sin) and "Police hamari baap hai" (a metaphorical assertion of police authority).

Videos of the incident were recorded by passers-by, while reports also claimed that fireworks were set off by the police during the march.

The incident followed protests on December 27, when residents of 14 villages demonstrated against the public hearing for the allocation of the Gare Pelma Sector-1 coal mine block to Jindal Power Limited.

"Such treatment of an accused is unlawful. The law does not permit the police to act in this manner," Vij said.

Human rights activists have also slammed the police action, stating that it runs contrary to Supreme Court guidelines.

"I have lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) and brought the matter to the notice of the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court," said Kunal Shukla, a Raipur-based human rights and RTI activist. "This reflects public humiliation and brutality displayed as a show of police success."

Shukla has also filed an RTI application seeking copies of any official orders authorising the manner in which the accused was treated, and whether the police obtained court permission to handcuff and parade him publicly.

In a similar case in the past, the Aurangabad Bench of the Bombay High Court fined a police officer Rs 75,000 for publicly parading a suspected thief half-naked with a garland of shoes, observing that no civilised society can permit such conduct and reiterating that rights under Article 21 can be curtailed only through procedure established by law.

Source: https://newsarenaindia.com/nation/nhrc-notice-to-railway-board-on-changes-in-reservation-policy/66664

NHRC notice to Railway Board on 'changes' in reservation 'policy'

The complainant has alleged changes in the policy "violated" the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution. He has urged that the National Human Rights Commission to "issue necessary directions" to the authorities, and to have such a policy, "abolished" urgently, it says.
News Arena Network - New Delhi - UPDATED: January 6, 2026, 05:37 PM - 2 min read
On the basis of allegations of violations of equality principles in the constitution in a complaint, the rights body NHRC has issued a notice to the Railway Board's chairman regarding a "policy" which was was introduced in IRCTC under which "changes" were made in the reservation category structure related to catering and service tenders.
The complainant Vinay Joshi from Maharashtra has alleged this "violated" the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution, according to the proceedings of the case. He has urged that the National Human Rights Commission to "issue necessary directions" to the authorities, and to have such a policy, "abolished" urgently, it says.
The proceedings of the case is dated January 5.bench of the NHRC headed by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and also issued directions to have the allegations levelled in the complaint, inquired into, and asked railway authorities to submit an action taken report within two weeks, it says.
However, there was no immediate reaction from the railway ministry. The complainant alleged that in 2010, "a tender policy was introduced in Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) by the then Railway Minister Mamata Banerjee under which changes were made in the reservation structure of catering and service tenders", reads the proceedings.
He alleged that "under the name of minority preference, the statutory reservation meant for SC/ST/OBC categories was reduced and a separate reservation benefit was extended to the Muslim community, which is not provided for under the Constitution of India," it adds.
The complainant further charged that "this policy violated the principles of equality and non-discrimination enshrined in the Constitution of India and adversely affected the rights of the suppressed citizens of SC/ST/OBC categories by denying them equal opportunity in the tender allocation process".

After seeking intervention of the Commission, Joshi requested action against such allegedly "politically motivated reservations for the Muslim community, which is against the Constitutional norms", and urged to "issue necessary directions against the officer concerned and abolish such a policy urgently", reads the proceedings of the case.
The allegations made in the complaint prima facie seem to be "violations of the human rights of the victims", the NHRC said.
The bench of the Commission has taken cognisance of it, it said, adding, the "registry is directed to issue a notice to the Chairman, Railway Board, New Delhi, with directions, to get the allegations made in the complaint inquired into, and to submit an action taken report within two weeks for perusal of the Commission".